Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to declare Sanskrit as `Rashtriya Bhasa'.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, वर्तमान में भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है । हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपी में हिन्दी होगी। आधिकारिक भाषाओं के अलावा संविधान 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, जिनमें अनुसूचित भाषाओं के रूप में हिन्दी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं।

भारत वर्तमान में अपनी आज़ादी के अमृत काल में है और उसके सामने भारत को वर्ष 2047 तक भारत को पुन: विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और सर्वविदित है कि अतीत के बोध के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं है तथा यह तब उस अवस्था में और भी प्रखर हो जाता है जब कि भारतीय संस्कृति सनातन है और उसके प्रवाह में भी कोई टूटन नहीं है, उसमें निरंतरता है।

यदि राष्ट्र को एक महान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है तो उसके सभी अंगों में समरसता आवश्यकता है एवं इस समरसता की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन संवाद है। संवाद स्थापना के अनेक उपाय हैं, पर उसमें नैसर्गिक उपाय तो भाषा ही है। यद्यपि आज के समय में देश में अनेक भाषाओं का प्रचलन है, पर भारतीय संस्कृति से रासायनिक जुड़ाव की जो क्षमता संस्कृत में है, वह किसी अन्य भाषा में नहीं है। मनुष्य के सामान्य व्यवहार तो अन्य भाषाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं, पर जब लक्ष्य भारत को विकसित बनाना हो तो भारत के अतीत, दर्शन, सामाजिक व्यवहार और इसकी सांस्कृतिक सुगन्ध का ज्ञान संस्कृत के प्रयोग के बिना संभव नहीं है और तब जब यह भाषा न सिर्फ भाषा विज्ञान की कठिनतम कसौटी में सर्वोत्कृष्ट है, अपितु विश्व शान्ति, सम्पूर्ण मानव जाति के समग्र विकास जैसे मानवीय मूल्यों का हिमालय के उच्च मानस क्षेत्रों से उच्च स्वारित उद्घोष भी करती है।

भारत एक राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली, राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली, भारत की वाकप्राण शक्ति संस्कृत भाषा को 'हिन्दी राजभाषा' के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और इसके जन-जन तक प्रसार और व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।